रजिस्ट्री सं० डी०—221 REGISTERED NO. D.—221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112024-258490
CG-DL-E-06112024-258490

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, सोमवार, 9 सितम्बर, 2024/ 18 भाद्रपद, 1946 (शक) [खंड LX
No. 4] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946 (SAKA) [VOL. LX

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024/18 भाद्रपद, 1946 (शक)

दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (2) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (3) दि फोरेस्ट (कंजरवेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2023; (4) दि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन ऐक्ट, 2023; (5) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (6) दि फार्मेसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (7) दि सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (8) दि इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (9) दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग ऐक्ट, 2023; (10) दि सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (11) दि प्रोविजनल कलैक्शन ऑफ टैक्सेस ऐक्ट, 2023; (12) दि पब्लिक इग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) ऐक्ट, 2024 और (13) दि वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2024 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, September 9, 2024/*Bhadra* 8, 1946 (*Saka*)

The Translation in Hindi of the following, namely:—The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2023; (2) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2023; (3) The Forest (Conservation) Amendment Act, 2023; (4) The Digital Personal Data Protection Act, 2023; (5) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2023; (6) The Pharmacy (Amendment) Act, 2023; (7) The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023; (8) The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023; (9) The Repealing and Amending Act, 2023; (10) The Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023; (11) The Provisional Collection of Taxes Act, 2023; (12) The Public Examinations (Preventation of Unfair Means) Act, 2024 and (13) The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 13) 861
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2023

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 14) . 863
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2023

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 15) 865
The Forest (Conservation) Amendment Act, 2023

डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 22) 871
The Digital Personal Data Protection Act, 2023

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 24) 899
The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2023

भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 29) 901
The Pharmacy (Amendment) Act 2023

केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 30) 903
The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023

एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 31) 907
The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 37) 911
The Repealing and Amending Act, 2023

केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 48) 919
The Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 50) 921
The Provisional Collection of Taxes Act, 2023

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 1) 923
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 5) 933
The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 13)

[4 अगस्त, 2023]

छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

सं.आ. 22

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग 20 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 20— छत्तीसगढ़ में,—

(i) प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. भारिया भूमिया, भुईंहार भूमिया, भूमिया, भरिया, भूईंया, भूईयाँ, भूयां, पालिहा, पांडो या पंडो या पन्डो या पण्डो";

(ii) प्रविष्टि 14 में, "धनवार" के पश्चात्, "धनुहार, धनुवार" अंतःस्थापित करें ;

2000 का 28

(iii) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की चौथी अनुसूची द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के हिंदी पाठ में वर्णित प्रविष्टि 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"15. गडाबा या गदबा, गडबा या गदबा";

(iv) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की चौथी अनुसूची द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के हिंदी पाठ में वर्णित प्रविष्टि 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 2000 का 28

"16. गोंड या गोंड़, अरख, आरख, अगरिया, असुर, अबूझ मारिया, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गेटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोट्या, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई";

(v) प्रविष्टि 23 में, "कोंध" के स्थान पर, "कोंद, कोंध" रखे ;

(vi) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की चौथी अनुसूची द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के हिंदी पाठ में वर्णित प्रविष्टि 27 के स्थान पर, "कोडाकू" के स्थान पर, "कोडाकू या कोड़ाकू" रखें ; 2000 का 28

(vii) प्रविष्टि 32 में, "नागासिया" के पश्चात्, "किसान" अंत:स्थापित करें ;

(viii) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की चौथी अनुसूची द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के हिंदी पाठ में वर्णित प्रविष्टि 33 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 2000 का 28

"33. उरांव, धानका, धांगड़";

(ix) प्रविष्टि 41 में, "सवरा" के पश्चात्, "सौंरा, संवरा" अंत:स्थापित करें ;

(x) प्रविष्टि 42 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"43. बिंझिया"।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 14)

[4 अगस्त, 2023]

हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

संविधान (अनुसूचित

सं.आ. 22

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 5 -

जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

हिमाचल प्रदेश में, प्रविष्टि 10 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"11. सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र का हाटी" ।

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 15)

[4 अगस्त, 2023]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

उद्देशिका का अंत:स्थापन ।

2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में दीर्घ शीर्ष के पश्चात् और अधिनियमिति सूत्र से पूर्व निम्नलिखित उद्देशिका अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1980 का 69

"वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए और पारिस्थितिकीय रूप से संतुलित संधारणीय विकास के माध्यम से वन कार्बन स्टॉक को बनाए रखने या उसमें वृद्धि करने के लिए वनों के महत्व को परिणत प्राप्त करना है ;

और देश के राष्ट्रीय रूप से अवधारित योगदान लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन (कार्बन डाईआक्साइड) के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करने की परिकल्पना करते हैं ;

और देश अपने भूमि क्षेत्र के एक-तिहाई तक वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करने की परिकल्पना करता है, जिसे बढ़ी हुई वृद्धि प्रक्षेप-पथ के साथ बल प्रदान किया जाना है ;

और भारत के वनों और उनकी जैव-विविधता को संरक्षित करने की समृद्ध परंपरा रही है और इसलिए वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय फायदों में वृद्धि की जा रही है जिसके अंतर्गत वनों पर निर्भर समुदायों के जीवनयापन में सुधार की परिकल्पना भी सम्मिलित की गई है ;

और इसलिए, वनों के संरक्षण प्रबंधन और पुन: बहाली से संबंधित उपबंधों का उपबंध करने, पारिस्थितिकीय सुरक्षा, संधारणीय संस्कृति और वनों के पारंपरिक महता का अनुरक्षण करने तथा आर्थिक आवश्यकताओं और कार्बन तटस्थता को बनाए रखने की आवश्यकता है ।"।

धारा 1 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "वन (संरक्षण) अधिनियम" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

नई धारा 1क का अंत:स्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय भूमि का समावेश करने के लिए अधिनियम ।

'1क. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित भूमि समावेशित होगी, अर्थात् :—

(क) वह भूमि, जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है ; 1927 का 16

(ख) वह भूमि, जो खंड (क) के अधीन नहीं आती है, किंतु 25 अक्तूबर, 1980 को या उसके पश्चात् किसी सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज की गई है:

परंतु इस खंड के उपबंध, ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे, जिसे किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसरण में 12 दिसंबर, 1996 को या

उससे पहले वन से गैर-वन प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु परिवर्तित कर दिया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सरकारी अभिलेख" पद से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजस्व विभाग या वन विभाग अथवा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी प्राधिकारी, स्थानीय निकाय, समुदाय या परिषद् द्वारा धारित अभिलेख अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित प्रवर्गों की भूमि समावेशित नहीं होगी, अर्थात् :—

(क) सरकार द्वारा अनुरक्षित रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क, के साथ अवस्थित ऐसी वन भूमि जो आवास या रेल या सड़क के किनारे प्रत्येक मामले में सुख-सुविधाओं के लिए, अधिकतम 0.10 हेक्टेयर माप तक पहुंच प्रदान करती है;

(ख) भूमि पर ऐसे वृक्ष, वृक्षारोपण या वनरोपण जो उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं है; और

(ग) ऐसी वन भूमि,—

(i) जो राष्ट्रीय महत्व की सामरिक रेखीय परियोजना और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने के प्रयोजन हेतु, यथास्थिति, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित है; या

(ii) जो सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित दस हेक्टेयर तक है ; या

(iii) जो रक्षा संबंधी परियोजना या अर्द्धसैनिक बलों के लिए शिविर या लोकोपयोगी परियोजनाओं के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तावित है जो वामपंथी चरमवाद से प्रभावित क्षेत्र में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पांच हेक्टेयर से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन उपबंधित छूट, ऐसे निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत भूमि से पेड़ों की कटाई के प्रतिकर के लिए वृक्षारोपण की शर्त भी है, जैसा केन्द्रीय सरकार मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन रहते हुए होगी ।'।

धारा 2 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और—

(क) इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(i) खंड (iii) में, "जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध या नियंत्रण के अधीन नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण में खंड (ख) के पश्चात् आने वाली दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :—

"किंतु इसके अंतर्गत वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित कोई कार्य जैसे कि—

(i) वन संवर्धन अभियान जिसके अंतर्गत i|u#n/kkj अभियान भी है;

(ii) सीमावर्ती वन कर्मचारिवृंद के लिए चैक-पोस्ट और अवसंरचना की स्थापना;

(iii) अग्निरेखाओं की स्थापना और अनुरक्षण;

(iv) बेतार संचार;

(v) बाड़, सीमा चिह्नों या स्तंभों, पुलों और पुलियाओं, चैक बांधों, जल-गढ्ढों, खाइयों और पाइपलाइनों का संनिर्माण;

(vi) संरक्षित क्षेत्रों मे भिन्न वन क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में निर्दिष्ट fpfM;k?kj या सफारी की स्थापना; 1972 का 53

(vii) वन कार्यकरण योजना या वन्य जीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना या उस क्षेत्र की कार्यकरण योजना में सम्मिलित पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाएं ; और

(viii) कोई अन्य सदृश प्रयोजन, जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

सम्मिलित नहीं है ।";

(ख) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके अधीन रहते हुए कोई सर्वेक्षण, जैसे टोह लेना, पूर्वेक्षण, खोज या परीक्षण, जिसके अंतर्गत भूकंप सर्वेक्षण है, को गैर-वन प्रयोजन नहीं माना जाएगा ।"।

नई धारा 3ग का अंत:स्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 3ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

"3ग. केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकारी को या केंद्रीय सरकार, राज्य

सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संगठन, अस्तित्व या निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे ।"।

डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 22)

[11 अगस्त, 2023]

डिजिटल वैयक्तिक डाटा का ऐसी रीति में प्रक्रमण करने के लिए, जो व्यष्टिकों के उनके वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करने के अधिकार और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता प्रदान करता है और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

परिभाषाएं । **2**. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील अधिकरण" से भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूर-संचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1997 का 24

(ख) "स्वचालित" से डाटा प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए दिए गए अनुदेशों या अन्यथा के उत्तर में स्वचालित रूप से प्रचालन करने में सक्षम कोई डिजिटल प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ग) "बोर्ड" से धारा 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "कतिपय विधिसम्मत उपयोग" से धारा 7 में निर्दिष्ट उपयोग अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(च) "शिशु" से ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

(छ) "सहमति प्रबंधक" से बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी पहुंच योग्य, पारदर्शी और प्रक्षेप्य प्लेटफार्म के माध्यम से अपनी सहमति देने, उसका प्रबंध करने, पुनर्विलोकन करने और उसे वापस लेने के लिए डाटा स्वामी को समर्थ बनाने के लिए एकल संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करता है;

(ज) "डाटा" से मानव या स्वचालित साधनों द्वारा संचार, निर्वचन या प्रक्रमण के लिए उपयुक्त रीति में सूचना, तथ्यों, अवधारणाओं, अभिमतों या अनुदेशों का व्यपदेशन अभिप्रेत है;

(झ) "डाटा न्यासी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन और साधनों को अवधारित करता है ;

(ञ) "डाटा स्वामी" से ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है जिससे वैयक्तिक डाटा संबंधित है और जहां ऐसा व्यष्टि—

(i) कोई शिशु है, जिसके अंतर्गत ऐसे शिशु के माता-पिता या विधिपूर्ण संरक्षक भी सम्मिलित हैं ;

(ii) कोई दिव्यांगजन है, जिसके अंतर्गत उसका कोई विधिपूर्ण संरक्षक सम्मिलित है, जो उसकी ओर से कार्य कर रहा है ;

(ट) "डाटा प्रक्रमणक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो डाटा न्यासी की ओर से वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करता है ;

(ठ) "डाटा संरक्षण अधिकारी" से धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन महत्वपूर्ण डाटा न्यासी द्वारा नियुक्त कोई व्यष्टि अभिप्रेत है ;

(ड) "डिजिटल कार्यालय" से ऐसा कोई कार्यालय अभिप्रेत है जो किसी ऐसे ऑनलाइन तंत्र को अंगीकृत करता है, जिसमें यथास्थिति, किसी सूचना या परिवाद या निर्देश या अपील की प्राप्ति से लेकर उनके निपटान तक की कार्यवाहियां ऑनलाइन या डिजिटल ढंग से संचालित की जाती हैं ;

(ढ) "डिजिटल वैयक्तिक डाटा" से डिजिटल प्ररूप में वैयक्तिक डाटा अभिप्रेत है ;

(ण) "अभिलाभ" से अभिप्रेत है—

(i) संपत्ति में अभिलाभ या सेवाओं की पूर्ति, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी ; या

(ii) पारिश्रमिक या अधिक पारिश्रमिक अर्जित करने या विधिसम्मत पारिश्रमिक से अन्यथा भिन्न कोई वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कोई अवसर ;

(त) "हानि" से अभिप्रेत है—

(i) संपत्ति में हानि या सेवाओं की पूर्ति में व्यवधान, चाहे अस्थायी हो या स्थायी; या

(ii) पारिश्रमिक या अधिक पारिश्रमिक या विधिसम्मत पारिश्रमिक से अन्यथा भिन्न कोई वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अवसर की हानि ;

(थ) "सदस्य" से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी सम्मिलित है ;

(द) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" तथा "अधिसूचित" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

(ध) "व्यक्ति" के अंतर्गत सम्मिलित है—

(i) व्यष्टि ;

(ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(iii) कंपनी ;

(iv) फर्म ;

(v) व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ;

(vi) राज्य ; और

(vii) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी भी उपखंड के अन्तर्गत नहीं आता है ;

(न) "वैयक्तिक डाटा" से किसी व्यष्टि के बारे में ऐसा कोई डाटा अभिप्रेत है, जो ऐसे डाटा के द्वारा या उसके संबंध में पहचान की जा सके ;

(प) "वैयक्तिक डाटा भंग" से वैयक्तिक डाटा का कोई अप्राधिकृत प्रक्रमण, आकस्मिक प्रकटन, अर्जन, सहभाजन, उपयोग, परिवर्तन, उस वैयक्तिक डाटा तक पहुंच का नाश या उसका गुम होना अभिप्रेत है जो वैयक्तिक डाटा की गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता को संकट में डालता है ;

(फ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ब) "कार्यवाही" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा की गई कोई कार्रवाई अभिप्रेत है ;

(भ) वैयक्तिक डाटा के संबंध में "प्रक्रमण" से डिजिटल वैयक्तिक डाटा पर की गई कोई पूर्णतः या भागतः स्वचालित संक्रिया या संक्रियाओं का सेट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पारेषण, प्रसार, संग्रहण, अभिलेखन, संगठन, संरचना, भंडारण, अनुकूलन, पुनः प्राप्ति, उपयोग, संरेखण या संयोजन, सूचीकरण, सहभाजन, प्रकटन या अन्यथा द्वारा उपलब्ध कराना, निर्बन्धन, मिटाना या नष्ट करना जैसी संक्रियाएं आती हैं;

(म) किसी स्त्रीलिंग वाचक व्यष्टि के संबंध में "वह" के अंतर्गत उसके लिंग पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यष्टि के प्रतिनिर्देश सम्मिलित है ;

(य) "महत्वपूर्ण डाटा न्यासी" से ऐसा कोई डाटा न्यासी या डाटा न्यासियों का वर्ग, जो धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत है ;

(यक) "विनिर्दिष्ट प्रयोजन" से डाटा स्वामी को डाटा न्यासी द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई सूचना में वर्णित प्रयोजन अभिप्रेत है ; और

(यख) "राज्य" से संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन यथापरिभाषित राज्य अभिप्रेत है ।

अधिनियम का लागू होना ।

3. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह अधिनियम—

(क) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर डिजिटल वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को लागू होगा, जहां वैयक्तिक डाटा का—

(i) डिजिटल प्ररूप में संग्रहण हुआ है ; या

(ii) गैर-डिजिटल प्ररूप में संग्रहण हुआ है और जिसे तत्पश्चात् डिजिटल बनाया गया है ;

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर डिजिटल वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को भी लागू होगा, यदि ऐसा प्रक्रमण भारत के राज्यक्षेत्र में डाटा स्वामियों को माल या सेवाओं की प्रस्थापना करने से संबंधित किसी क्रियाकलाप के संबंध में किया जाता है ;

(ग) यह अधिनियम—

(i) किसी व्यष्टि द्वारा किसी वैयक्तिक या घरेलू प्रयोजन के लिए प्रक्रमण किया गया वैयक्तिक डाटा ; और

(ii) वैयक्तिक डाटा, जिसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है या उपलब्ध करवाया जाता है,—

(अ) डाटा स्वामी द्वारा, जिससे ऐसा वैयक्तिक डाटा संबंधित है ; या

(आ) किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे वैयक्तिक डाटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए बाध्यताधीन है,

को लागू नहीं होगा ।

दृष्टांत

कोई व्यष्टि **भ**, जो अपने विचारों की ब्लॉगिंग करते समय, अपने वैयक्तिक डाटा को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाती है । ऐसी दशा में, इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

अध्याय 2

डाटा न्यासी की बाध्यताएं

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार ।

4. (1) कोई व्यक्ति किसी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और ऐसे निम्नलिखित विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए ही कर सकेगा,—

(क) जिसके लिए डाटा स्वामी ने अपनी सहमति दी है ; या

(ख) कतिपय विधिसम्मत उपयोगों के लिए ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विधिसम्मत प्रयोजन" पद से ऐसा कोई प्रयोजन अभिप्रेत है, जिसका विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषेध नहीं किया गया है ।

सूचना ।

5. (1) धारा 6 के अधीन सहमति के लिए डाटा स्वामी को किए गए प्रत्येक अनुरोध के साथ डाटा न्यासी द्वारा डाटा स्वामी को दी गई निम्नलिखित सूचना के साथ ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संलग्न किया जाएगा या उससे पहले किया जाएगा,—

(i) वैयक्तिक डाटा और प्रयोजन, जिसके लिए उसका प्रक्रमण प्रस्तावित किया जाना है ;

(ii) वह रीति, जिसमें वह धारा 6 की उपधारा (4) और धारा 13 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी ; और

(iii) वह रीति, जिसमें डाटा स्वामी बोर्ड को शिकायत कर सकेगा ।

दृष्टांत

कोई व्यष्टि **भ**, जो एक बैंक **म** के मोबाइल ऐप या वेबसाइट का उपयोग करते हुए एक बैंक खाता खोलती है । बैंक खाता खोलने के लिए विधि के अधीन अपने ग्राहक की अपेक्षाओं को जानिए, को पूरा करने के लिए, **भ** अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए **म**, लाइव में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया का विकल्प चुनती है । **म, भ** को सूचना के साथ वैयक्तिक डाटा के लिए वैयक्तिक डाटा और इसके प्रक्रमण के प्रयोजन का वर्णन करते हुए अनुरोध संलग्न करेगी या उससे पहले अनुरोध करेगी ।

(2) जहां डाटा स्वामी ने इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अपनी सहमति दे दी है, वहां—

(क) डाटा न्यासी, यथाशीघ्र युक्तियुक्त रूप से साध्य हो, डाटा स्वामी को उसे निम्नलिखित की सूचना देते हुए, ऐसी रीति में और जो विहित की जाए, नोटिस देगा,—

(i) वैयक्तिक डाटा और वह प्रयोजन, जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया गया है ;

(ii) वह रीति, जिसमें वह धारा 6 की उपधारा (4) और धारा 13 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा ; और

(iii) वह रीति, जिसमें डाटा स्वामी बोर्ड को शिकायत कर सकेगा ।

(ख) डाटा न्यासी, वैयक्तिक डाटा का तब तक प्रक्रमण कर सकेगा जब तक डाटा स्वामी अपनी सहमति वापस नहीं ले लेता है ।

दृष्टांत

कोई व्यष्टि **भ**, **म** द्वारा, जो एक ई-कामर्स सेवा प्रदाता है, प्रचालित किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप या वेबसाइट पर इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति दी थी । इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, **म** यथासाध्य **भ** को वैयक्तिक डाटा और उसके प्रक्रमण के प्रयोजन का वर्णन करते हुए ई-मेल, ऐप में अधिसूचना या अन्य प्रभावी ढंग से सूचना देगा ।

(3) डाटा न्यासी, डाटा स्वामी को उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना की अंतर्वस्तु तक पहुंच का अंग्रेजी भाषा में या संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भाषा में विकल्प प्रदान करेगा ।

सहमति ।

6. (1) डाटा स्वामी द्वारा दी गई सहमति नि:शुल्क, विनिर्दिष्ट, सूचित, अशर्त और स्पष्ट सकारात्मक कार्रवाई सहित असंदिग्ध होगी और वह विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उसके वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के करार को दर्शाएगी तथा ऐसे वैयक्तिक डाटा तक सीमित होगी, जो ऐसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ।

दृष्टांत

कोई व्यष्टि **भ**, किसी टेलीमेडिसिन ऐप **म** को डाउनलोड करती है । **म** (i) टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए उसके वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण, और (ii) उसके मोबाइल फोन की संपर्क सूची तक पहुंच बनाने के लिए **भ** की सहमति के लिए अनुरोध करता है और **भ** दोनों के लिए अपनी सहमति देती है । अत:, टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए फोन संपर्क सूची आवश्यक नहीं है, टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए उसकी सहमति उसके वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण तक ही सीमित होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहमति का कोई भाग, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे अतिलंघन के विस्तार तक अविधिमान्य होगा ।

दृष्टांत

कोई व्यष्टि **भ**, बीमाकर्ता **म** के मोबाइल ऐप या वेबसाइट का उपयोग करते हुए कोई बीमा पालिसी क्रय करती है । वह (i) पालिसी को जारी करने के प्रयोजन के लिए **म** द्वारा अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए, और (ii) भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड को किसी परिवाद को फाइल करने के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए **म** को सहमति देती है । सहमति का भाग (ii) परिवाद फाइल करने के उसके अधिकार के अधित्याग के संबंध में अविधिमान्य होगा ।

(3) इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सहमति के लिए प्रत्येक अनुरोध, स्पष्ट और सरल भाषा में अंग्रेजी में या संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भाषा में, ऐसे अनुरोध तक पहुंच का उसे विकल्प देते हुए और डाटा संरक्षण अधिकारी को, जहां लागू हो, या इस अधिनियम के उपबंधों के

अधीन उसके अधिकारों के प्रयोग के प्रयोजन के लिए डाटा स्वामी से किसी संसूचना का उत्तर देने के लिए डाटा न्यासी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का संपर्क ब्यौरा प्रदान करते हुए, डाटा स्वामी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) जहां डाटा स्वामी द्वारा दी गई सहमति, वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का आधार है, वहां ऐसे डाटा स्वामी को किसी भी समय अपनी सहमति उतने ही कार्य करने में सहजता के साथ वापस लेने का अधिकार होगा, जितना उस सहजता के तुल्य हो, जिसके साथ ऐसी सहमति दी गई थी ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट वापसी के परिणाम को डाटा स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा और ऐसी वापसी, उसके वापसी किए जाने से पूर्व सहमति के आधार पर वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगी ।

दृष्टांत

कोई व्यष्टि **भ**, किसी ई-वाणिज्य सेवा प्रदाता **म** द्वारा प्रचालित ऑनलाइन खरीदारी ऐप या वेबसाइट का उपभोक्ता है । **भ** अपने आपूर्ति आदेश को पूरा करने के प्रयोजन के लिए और माल की आपूर्ति के लिए किए गए आदेश के लिए भुगतान करते समय, **म** द्वारा अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति देती है । यदि **भ** अपनी सहमति वापस लेती है, तो **म** आदेश देने के लिए ऐप या वेबसाइट का उपयोग करने के लिए **भ** को समर्थ बनने से रोक सकेगा, किन्तु **भ** द्वारा माल की आपूर्ति के लिए पहले से दिए गए आदेश और किए गए भुगतान के प्रक्रमण को नहीं रोक सकेगा ।

(6) यदि डाटा स्वामी, उपधारा (5) के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अपनी सहमति को वापस ले लेती है, तो डाटा न्यासी, युक्तियुक्त समय के भीतर, प्रक्रमण को रोक देगा और ऐसे डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को रोकने के लिए इसके डाटा प्रक्रमणकों को तब तक रोकेगा या तब तक रुकवाएगा, जब तक उसकी सहमति के बिना ऐसा प्रक्रमण इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत न हो ।

दृष्टांत

भ एक दूर-संचार सेवा प्रदाता है, जो **भ** के ग्राहकों के टेलिफोन बिलों को ई-मेल करने के लिए एक डाटा प्रक्रमणक **म** के साथ संविदा करता है । **य** जो **भ** का ग्राहक है जिसने बिलों को ई-मेल करने के लिए अपने वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने के लिए **भ** को अपनी सहमति पहले से दी थी, **भ** मोबाइल ऐप को डाउनलोड करता है और केवल ऐप पर बिलों को प्राप्त करने का विकल्प चुनता है । **भ** स्वयं बिलों को ई-मेल करने के लिए **य** के वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को रोक देगा और **म** से भी रुकवाएगा ।

(7) डाटा स्वामी, किसी सहमति प्रबंधक के माध्यम से डाटा न्यासी को अपनी सहमति दे सकेगा, उसका प्रबंध, पुनर्विलोकन कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा ।

(8) सहमति प्रबंधक, डाटा स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा और ऐसी रीति तथा ऐसी बाध्यताओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, उसकी ओर से कार्य करेगा ।

(9) प्रत्येक सहमति प्रबंधक, ऐसी रीति में और ऐसी तकनीकी, संक्रियात्मक, वित्तीय और अन्य शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(10) जहां डाटा स्वामी द्वारा दी गई सहमति, वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का आधार है और किसी कार्यवाही में, इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है, वहां डाटा न्यासी यह साबित

करने के लिए आबद्धकर होगा कि डाटा स्वामी को उसके द्वारा नोटिस दिया गया था तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, डाटा न्यासी को ऐसे डाटा स्वामी द्वारा सहमति दी गई थी ।

कतिपय विधिसम्मत उपयोग ।

7. डाटा न्यासी, निम्नलिखित उपयोगों में से किसी भी उपयोग के लिए किसी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उस विनिर्दिष्ट प्रयोजन, जिसके लिए डाटा स्वामी, डाटा न्यासी को अपना वैयक्तिक डाटा स्वेच्छापूर्वक उपलब्ध कराता है और जिसके संबंध में उसने डाटा न्यासी को यह नहीं बताया है कि उसने अपने वैयक्तिक डाटा के उपयोग के लिए सहमति नहीं दी है ।

दृष्टांत

(I) एक व्यष्टि **भ**, एक फार्मेसी **म** से कुछ क्रय करती है । वह स्वेच्छापूर्वक अपना वैयक्तिक डाटा **म** को प्रदान करती है और **म** से अपने मोबाइल फोन पर संदेश भेज कर क्रय के लिए किए गए भुगतान की अभिस्वीकृति रसीद के लिए अनुरोध करती है । **म** रसीद के भेजने के प्रयोजन के लिए **भ** के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण कर सकेगा ।

(II) कोई व्यष्टि **भ**, एक भू-संपदा दलाल **म** को इलैक्ट्रानिक रूप से संदेश भेजती है जिसमें **म** से अपने लिए उपयुक्त किराए पर लिए गए आवास की पहचान में सहायता करने के लिए अनुरोध करती है और इस प्रयोजन के लिए अपना वैयक्तिक डाटा साझा करती है । **म** पहचान करने के लिए उसके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण कर सकेगा और किराए पर उपलब्ध आवास के ब्यौरे उसको सूचित कर सकेगा । तत्पश्चात् **भ**, **म** को सूचित करती है कि **भ** को **म** से कोई और सहायता की आवश्यकता नहीं है । **भ** के वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को **म** रोक देगा ;

(ख) राज्य और उसके किसी भी करणत्व के संबंध में, डाटा स्वामी को ऐसी सहायकी, लाभ, सेवा, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुमति प्रदान करना या जारी करना, जो विहित किया जाए, जहां—

(i) उसने किसी सहायकी, लाभ, सेवा, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुमति के लिए राज्य या उनके किसी करणत्व द्वारा उसके वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए पूर्व सहमति दे दी है ; या

(ii) ऐसा वैयक्तिक डाटा डिजिटल प्ररूप में या गैर-डिजिटल प्ररूप में उपलब्ध है और जिसका तत्पश्चात् किसी डाटाबेस, रजिस्टर, बही या अन्य दस्तावेज, जो राज्य या उसके किसी करणत्वों में से किसी करणत्व द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं, का डिजिटीकरण किया गया है,

वहां केन्द्रीय सरकार या वैयक्तिक डाटा के शासन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार, प्रक्रमण के लिए पालन किए गए मानकों के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

दृष्टांत

एक गर्भवती महिला **भ**, जो फायदों का लाभ लेने के प्रयोजन के लिए अपना वैयक्तिक डाटा उपलब्ध कराने की सहमति देते हुए स्वयं को सरकार के मातृत्व लाभ कार्यक्रम का लाभ

लेने के लिए किसी ऐप या वेबसाइट पर स्वयं को नामांकित करती है । सरकार, **भ** के वैयक्तिक डाटा को सरकार से किसी अन्य विहित फायदे को प्राप्त करने के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के लिए प्रक्रमण की प्रक्रिया कर सकेगी ;

(ग) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा के हित में, किसी कृत्य का राज्य या उसके किसी करणत्व द्वारा निष्पादन के लिए ;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में ऐसी सूचना के प्रकटन के संबंध में उपबंधों के अनुसार ऐसा प्रक्रमण होने के अध्यधीन राज्य या उसके किसी करणत्व को ऐसी सूचना के प्रकटन के लिए किसी व्यक्ति पर, भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी बाध्यता को पूरा करने के लिए ;

(ङ) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी निर्णय या डिक्री या जारी किए गए आदेश अथवा भारत के बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संविदात्मक या सिविल प्रकृति के दावों से संबंधित किसी निर्णय या आदेश का अनुपालन करने के लिए ;

(च) किसी चिकित्सीय आपात, जिसमें डाटा स्वामी या किसी अन्य व्यष्टि के जीवन के लिए खतरा या स्वास्थ्य के लिए तत्काल खतरा अन्तर्वलित है, के प्रति जवाब देने के लिए ;

(छ) किसी महामारी, बीमारी का प्रकोप या जनस्वास्थ्य के किसी अन्य खतरे के दौरान, किसी व्यष्टि को चिकित्सीय उपचार या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उपाय करने के लिए ;

(ज) किसी आपदा या किसी लोक व्यवस्था के खराब होने के दौरान, किसी व्यष्टि की सुरक्षा सुनिश्चित करने या उसे सहायता देने या सेवा उपलब्ध कराने हेतु उपाय करने के लिए ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, "आपदा" पद का वही अर्थ होगा, 2005 का 53 जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में उसका है ; या

(झ) नियोजन के प्रयोजनों के लिए या उन प्रयोजनों के लिए, जो नियोजक की कारपोरेट जासूसी की रोकथाम, व्यापार रहस्यों की गोपनीयता को बनाए रखना, बौद्धिक संपदा, वर्गीकृत सूचना या किसी सेवा का उपबंध या ऐसे डाटा स्वामी, जो कर्मचारी है, द्वारा मांगा गया फायदा जैसे हानि या दायित्व से नियोजक की सुरक्षा से संबंधित हैं ।

डाटा न्यासी की साधारण बाध्यताएं ।

8. (1) कोई डाटा न्यासी, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए डाटा स्वामी के प्रतिकूल किसी करार या विफलता पर विचार किए बिना, डाटा प्रक्रमणक द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी प्रक्रमण के संबंध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) डाटा न्यासी, किसी विधिमान्य संविदा के अधीन केवल डाटा स्वामी को माल या सेवाओं की प्रस्थापना करने से संबंधित किसी क्रियाकलाप के लिए उसकी ओर से वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण के लिए किसी डाटा प्रक्रमणक को लगा सकेगा, नियुक्त कर

सकेगा, उपयोग कर सकेगा या अन्यथा सम्मिलित कर सकेगा ।

(3) जहां वैयक्तिक डाटा का, किसी डाटा न्यासी द्वारा प्रक्रमण किया जाता है—

(क) वहां इसका ऐसे विनिश्चय करने के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है, जो डाटा स्वामी को प्रभावित करता है ; या

(ख) किसी अन्य डाटा न्यासी के लिए प्रकट किए जाने की संभावना है, वहां डाटा न्यासी जो ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करता है इसकी संपूर्णता, यथार्थता और संगतता को सुनिश्चित करेगा ।

(4) कोई डाटा न्यासी, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को कार्यान्वित करेगा ।

(5) कोई डाटा न्यासी, अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण के अधीन वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करेगा, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा या डाटा प्रक्रमणक द्वारा उसकी ओर से किए गए प्रक्रमण के संबंध में वैयक्तिक डाटा का उल्लंघन रोकने के लिए युक्तियुक्त सुरक्षोपाय करना भी शामिल है ।

(6) किसी वैयक्तिक डाटा भंग की दशा में, बोर्ड और प्रत्येक प्रभावित डाटा स्वामी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, डाटा न्यासी ऐसे भंग की सूचना देगा ।

(7) कोई डाटा न्यासी, जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुपालन के लिए प्रतिधारण आवश्यक न हो,—

(क) डाटा स्वामी द्वारा अपनी सहमति वापस लेने पर या जैसे ही यह मान लेना युक्तियुक्त हो कि विनिर्दिष्ट प्रयोजन और अधिक पूरा नहीं किया जा रहा है, इनमें से जो भी पहले हो, वैयक्तिक डाटा मिटा देगा; और

(ख) अपने डाटा प्रक्रमणक से किसी वैयक्तिक डाटा को मिटवाएगा, जो ऐसे डाटा प्रक्रमणक के प्रक्रमण के लिए डाटा न्यासी द्वारा उपलब्ध कराया गया था ।

दृष्टांत

(I) कोई व्यष्टि **भ**, ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता **म** द्वारा प्रचालित ऑनलाइन बाजार स्थल पर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराती है। **भ** अपनी उपयोग की गई कार को बेचने के लिए अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए **म** को अपनी सहमति देती है । ऑनलाइन बाजार स्थल, विक्रय का समापन करने में सहायता करता है । **म** अब उसका वैयक्तिक डाटा अधिक समय तक नहीं रखेगा ।

(II) कोई व्यष्टि **भ**, एक बैंक **म** के साथ अपना बचत खाता बंद कराने का विनिश्चय करती है। **म** से अपने ग्राहकों की पहचान का अभिलेख खातों के बंद होने के पश्चात्, बैंकों को लागू विधि द्वारा दस वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है । चूंकि विधि के अनुपालन के लिए, प्रतिधारण आवश्यक है, अतः, **म** उक्त अवधि के लिए **भ** के वैयक्तिक डाटा को बनाए रखेगा ।

(8) उपधारा (7) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन पूरा किया गया नहीं समझा

जाएगा, यदि डाटा स्वामी, ऐसी समयावधि के लिए, जो विहित की जाए—

(क) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के पालन के लिए डाटा न्यासी तक नहीं पहुंचता है; और

(ख) ऐसे प्रक्रमण के संबंध में अपने किन्हीं अधिकारों का प्रयोग नहीं करती है,

और भिन्न-भिन्न डाटा न्यासियों के वर्गों और भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न कालावधियां विहित की जा सकेंगी ।

(9) डाटा न्यासी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, डाटा संरक्षण अधिकारी, यदि लागू हो, या उस व्यक्ति का, जो डाटा न्यासी की ओर से, डाटा स्वामी द्वारा उसके वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के बारे में पूछे गए प्रश्नों, यदि कोई हों, का उत्तर देने में समर्थ है, की कारबार संपर्क सूचना को प्रकाशित करेगा ।

(10) डाटा न्यासी, डाटा स्वामियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र की स्थापना करेगा ।

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि डाटा स्वामी ने किसी ऐसी अवधि में, जिसके दौरान उसने वैयक्तिक रूप से या इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से या शारीरिक रूप से ऐसे पालन के लिए डाटा न्यासी के साथ संपर्क आरंभ नहीं किया है, विनिर्दिष्ट प्रयोजन के पालन के लिए डाटा न्यासी से संपर्क नहीं किया गया माना जाएगा ।

शिशुओं के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।

9. (1) डाटा न्यासी, किसी शिशु या दिव्यांगजन के, जिसका कोई विधिपूर्ण संरक्षक है, किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने से पूर्व, यथास्थिति, ऐसे शिशु के माता-पिता या विधिपूर्ण संरक्षक की, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सत्यापनीय सहमति प्राप्त करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "माता-पिता की सहमति" पद के अन्तर्गत विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति, जहां कहीं लागू हो, आती है ।

(2) डाटा न्यासी, वैयक्तिक डाटा का ऐसा प्रक्रमण नहीं करेगा जिससे किसी शिशु के कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव कारित होने की संभावना हो ।

(3) डाटा न्यासी, शिशु की खोज संबंधी या व्यवहार संबंधी मानीटरी अथवा शिशुओं पर निदेशित लक्षित विज्ञापन नहीं करेगा ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंध, डाटा न्यासियों के ऐसे वर्गों द्वारा किसी शिशु के वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को या ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, लागू नहीं होंगे ।

(5) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि डाटा न्यासी ने यह सुनिश्चित किया है कि शिशुओं के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ऐसी रीति में किया जाता है जो सत्यापनीय रूप से सुरक्षित है, ऐसे डाटा न्यासी द्वारा ऐसे प्रक्रमण के लिए उस आयु को अधिसूचित कर सकेगी, जिससे अधिक वह डाटा न्यासी उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन उस डाटा न्यासी द्वारा प्रक्रमण के संबंध में सभी या किन्हीं बाध्यताओं के लागू होने से छूट प्राप्त होगा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

महत्वपूर्ण डाटा न्यासी की अतिरिक्त बाध्यताएं ।

10. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी डाटा न्यासी या डाटा न्यासियों के वर्ग को ऐसे सुसंगत कारकों के निर्धारण के आधार पर, जो वह अवधारित करे, महत्वपूर्ण डाटा न्यासी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की मात्रा और संवेदनशीलता;

(ख) डाटा स्वामी के अधिकारों के लिए जोखिम;

(ग) भारत की संप्रभुता और अखंडता पर संभावित प्रभाव;

(घ) निर्वाचन लोकतंत्र के लिए जोखिम ;

(ङ) राज्य की सुरक्षा; और

(च) लोक व्यवस्था ।

(2) महत्वपूर्ण डाटा न्यासी—

(क) एक डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा, जो—

(i) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन महत्वपूर्ण डाटा न्यासी का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(ii) भारत में स्थित होगा ;

(iii) ऐसा व्यष्टि होगा जो निदेशक बोर्ड या महत्वपूर्ण डाटा न्यासी के सदृश शासी निकाय के प्रति उत्तरदायी हो ; और

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शिकायत निवारण तंत्र के लिए संपर्क का स्थल होगा ;

(ख) डाटा संपरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र डाटा संपरीक्षक की नियुक्ति करेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार महत्वपूर्ण डाटा न्यासी के अनुपालन का मूल्यांकन करेगा; और

(ग) निम्नलिखित अन्य उपाय करेगा, अर्थात्:—

(i) आवधिक डाटा संरक्षण समाघात निर्धारण, जो एक ऐसी प्रक्रिया होगी, जिसमें डाटा स्वामियों के अधिकारों का वर्णन और उनके वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रयोजन, डाटा स्वामियों के अधिकारों के जोखिम का निर्धारण और प्रबंधन तथा ऐसी प्रक्रिया के बारे में ऐसे अन्य मामले, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे;

(ii) आवधिक संपरीक्षा; और

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे अन्य उपाय जो विहित किए जाएं ।

अध्याय 3

डाटा स्वामी के अधिकार और कर्तव्य

वैयक्तिक डाटा के बारे में सूचना तक पहुंच का अधिकार ।

11. (1) डाटा स्वामी को, डाटा न्यासी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त डाटा न्यासी कहा गया है) से, जिसको उसने पूर्व में सहमति दी है, जिसके अंतर्गत धारा 7 के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट सहमति भी है, उसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके अनुरोध पर वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए,—

(क) वैयक्तिक डाटा, जिसका ऐसे डाटा न्यासी द्वारा प्रक्रमण किया जा रहा है और ऐसे वैयक्तिक डाटा के संबंध में उस डाटा न्यासी द्वारा किए गए प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलाप का सार ;

(ख) सभी अन्य डाटा न्यासियों और डाटा प्रक्रमणकों की पहचान, जिनके साथ ऐसे डाटा न्यासी द्वारा इस प्रकार साझा किए गए वैयक्तिक डाटा के वर्णन के साथ, वैयक्तिक डाटा साझा किया गया है ; और

(ग) ऐसे डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा और उसके प्रक्रमण से संबंधित ऐसी कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट कोई बात, उक्त डाटा न्यासी द्वारा किसी वैयक्तिक डाटा को, ऐसा वैयक्तिक डाटा अभिप्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य डाटा न्यासी के साथ साझा करने के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसा सहभाजन अपराधों या साइबर घटनाओं के निवारण या पता लगाने या अन्वेषण के प्रयोजनार्थ या अपराधों के अभियोजन या दंड हेतु ऐसे अन्य डाटा न्यासी द्वारा लिखित में किए गए अनुरोध के अनुसरण में किया जाता है ।

वैयक्तिक डाटा को सुधारने और मिटाने का अधिकार ।

12. (1) किसी डाटा स्वामी को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी अपेक्षा या प्रक्रिया के अनुसार, अपने वैयक्तिक डाटा को सुधारने, पूरा करने, अद्यतन करने और मिटाने का अधिकार होगा, जिसके प्रक्रमण के लिए उसने पूर्व में सहमति दी है, जिसके अंतर्गत धारा 7 के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट सहमति भी है ।

(2) डाटा न्यासी, डाटा स्वामी से सुधार, समापन या अद्यतन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर,—

(क) गलत या भ्रामक वैयक्तिक डाटा को सही करेगा ;

(ख) अपूर्ण वैयक्तिक डाटा को पूरा करेगा ; और

(ग) वैयक्तिक डाटा को अद्यतन करेगा ।

(3) डाटा स्वामी, अपने वैयक्तिक डाटा के विलोपन के लिए डाटा न्यासी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरोध करेगा और ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, डाटा न्यासी उसके वैयक्तिक डाटा का विलोपन कर देगा, जब तक कि उसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन के लिए बनाए रखना आवश्यक न हो ।

शिकायत निवारण का अधिकार ।

13. (1) डाटा स्वामी को, ऐसे डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा के संबंध में अपनी बाध्यताओं के पालन या इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग के बारे में ऐसे डाटा न्यासी या सहमति प्रबंधक के किसी कार्य या लोप के संबंध में, किसी डाटा न्यासी या सहमति प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराए गए शिकायत निवारण के तुरन्त उपलब्ध साधनों को प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) डाटा न्यासी या सहमति प्रबंधक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी शिकायत का उत्तर, डाटा न्यासियों के सभी या किसी वर्ग के लिए उसकी प्राप्ति की तारीख से, ऐसी अवधि के भीतर देगा, जो विहित की जाए ।

(3) डाटा स्वामी, बोर्ड से संपर्क करने से पहले, इस धारा के अधीन अपनी शिकायत के निवारण के अवसर का उपयोग करेगा ।

नामनिर्देशन का अधिकार ।

14. (1) डाटा स्वामी को, किसी अन्य व्यष्टि को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्देशित करने का अधिकार होगा, जो डाटा स्वामी की मृत्यु या असमर्थता की दशा में, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार डाटा स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "असमर्थता" पद से चित्त–विकृति या शारीरिक शैथिल्य के कारण इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन डाटा स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थता अभिप्रेत है ।

डाटा स्वामी के कर्तव्य ।

15. डाटा स्वामी, निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते समय तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपना वैयक्तिक डाटा प्रदान करते समय किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण न किया जाए;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि राज्य या उसके किन्हीं करणत्वों द्वारा जारी किए गए किसी दस्तावेज, विशिष्ट पहचानकर्ता, पहचान के सबूत या पते के सबूत के लिए अपना वैयक्तिक डाटा प्रदान करते समय किसी तात्त्विक सूचना को न छुपाया जाए ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि डाटा न्यासी या बोर्ड के पास कोई झूठी या तुच्छ शिकायत या परिवाद रजिस्टर न किया जाए ;

(ङ) इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सुधार या विलोपन के अधिकार का प्रयोग करते समय केवल ऐसी जानकारी प्रस्तुत की जाए, जो सत्यापनीय रूप से अधिप्रमाणित हो ।

अध्याय 4

विशेष उपबंध

भारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत के बाहर ऐसे देश या राज्यक्षेत्र तक, जो इस प्रकार अधिसूचित किया जाए, प्रक्रमण के लिए किसी डाटा न्यासी द्वारा वैयक्तिक डाटा के अंतरण को निर्बंधित कर सकेगी ।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के लागू होने को निर्बंधित नहीं करेगी जो किसी वैयक्तिक डाटा या डाटा न्यासी या उसके किसी वर्ग के संबंध में भारत के बाहर किसी डाटा न्यासी द्वारा वैयक्तिक डाटा के अंतरण के लिए उच्चतर डिग्री के संरक्षण या उस पर निर्बंधन का उपबंध करती है ।

17. (1) धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के सिवाय, अध्याय 2 के उपबंध और अध्याय 3 तथा धारा 16 के उपबंध, वहां लागू नहीं होंगे, जहां— छूट ।

(क) किसी विधिक अधिकार या दावे के प्रवर्तन के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण आवश्यक है ;

(ख) भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य निकाय द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण, जो किसी न्यायिक या न्यायिककल्प या विनियामक या पर्यवेक्षणीय कृत्य के पालन के साथ विधि द्वारा वहां न्यस्त किया जाता है, जहां ऐसा प्रक्रमण ऐसे कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक है ;

(ग) ऐसे व्यक्तिगत डाटा का प्रक्रमण, भारत में किसी अपराध या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण की रोकथाम, पता लगाने, अन्वेषण या अभियोजन के हित में किया जाता है ;

(घ) डाटा स्वामियों के, जो भारत के राज्यक्षेत्र में नहीं है, वैयक्तिक डाटा का, भारत में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति के साथ की गई किसी संविदा के अनुसरण में, प्रक्रमण किया जाता है ;

(ङ) दो या दो से अधिक कंपनियों के समझौते या व्यवस्था या विलय या समामेलन या किसी कंपनी के निर्विलयन या अन्यथा के माध्यम से पुनर्निमाण या एक या अधिक कंपनी के उपक्रम का, किसी दूसरी कंपनी को अंतरण या एक या अधिक कंपनियों के विभाजन को अन्तर्वलित करने वाली स्कीम के लिए प्रक्रमण आवश्यक है जो न्यायालय या अधिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा ऐसा करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है; और

(च) यह प्रक्रमण, किसी ऐसे व्यक्ति की वित्तीय जानकारी और आस्तियों तथा दायित्वों को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए है, जिसने किसी वित्तीय संस्था से लिए गए किसी ऋण या अग्रिम के कारण देय का संदाय करने में, ऐसे प्रक्रमण के अध्यधीन, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जानकारी या डाटा के प्रकटन के संबंध में उपबंधों के अनुसार है, व्यतिक्रम किया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "व्यतिक्रम" और "वित्तीय संस्था" पदों का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 की उपधारा (12) और उपधारा (14) में उनका है । 2016 का 31

दृष्टांत

कोई व्यष्टि **भ**, जो किसी बैंक **म** से ऋण लेती है । **भ**, अपने मासिक ऋण की किस्त का प्रतिसंदाय, उस तारीख को जिसको यह देय है, करने में व्यतिक्रम करती है । **म**, उसकी वित्तीय जानकारी और आस्तियों तथा दायित्वों को अभिनिश्चित करने के लिए **भ** के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंध, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने के संबंध में निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, जहां—

(क) राज्य के ऐसे करणत्व द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था बनाए रखने या इनमें से किसी के संबंध में किसी संज्ञेय अपराध के प्रति उद्दीपन को रोकने के हित में अधिसूचित करे और किसी वैयक्तिक डाटा का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रक्रमण किया जाना, जिसे ऐसा करणत्व उसे प्रस्तुत करे ; और

(ख) अनुसंधान, पुरालेखीकरण या सांख्यिकी संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, यदि वैयक्तिक डाटा, डाटा स्वामी के किसी विनिर्दिष्ट विनिश्चय लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाना है और ऐसा प्रक्रमण ऐसे मानकों के अनुसार किया जाता है, जो विहित किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार प्रक्रमित वैयक्तिक डाटा के परिमाण और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कतिपय डाटा न्यासियों या डाटा न्यासियों के वर्ग, जिसके अंतर्गत स्टार्ट-अप भी हैं, को डाटा न्यासियों के रूप में अधिसूचित कर सकेगी, जिन्हें धारा 5, धारा 8 की उपधारा (3) और उपधारा (7) तथा धारा 10 और धारा 11 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्टार्ट-अप" पद से कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या भागीदारी फर्म या भारत में निगमित कोई सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है, जो ऐसे विभाग द्वारा अधिसूचित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार, उस रूप में पात्र होने के लिए और उस रूप में मान्यताप्राप्त है जिसे केन्द्रीय सरकार में स्टार्ट-अप से संबंधित विषय आबंटित किए जाते हैं ।

(4) धारा 8 की उपधारा (7) और धारा 12 की उपधारा (3) के उपबंध, राज्य या राज्य के किसी करणत्व द्वारा प्रक्रमण करने के संबंध में और जहां ऐसा प्रक्रमण ऐसे प्रयोजन के लिए है, जिसमें कोई ऐसा विनिश्चय करना सम्मिलित नहीं है, जो डाटा स्वामी को प्रभावित करे, वहां धारा 12 की उपधारा (2) लागू नहीं होगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध, ऐसे डाटा न्यासी या डाटा न्यासियों के वर्गों को, ऐसी अवधि के लिए लागू नहीं होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

अध्याय 5

भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड

बोर्ड की स्थापना ।

18. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसे भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड कहा जाएगा ।

(2) बोर्ड, पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) बोर्ड का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

19. (1) बोर्ड, एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे ।

संरचना तथा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें डाटा शासन, सामाजिक या उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विधियों के प्रशासन या कार्यान्वयन, विवाद समाधान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विधि, विनियमन या प्रौद्योगिकी-विनियमन या किसी ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, जो केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड के लिए उपयोगी हो सके और उनमें से कम से कम एक सदस्य विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा ।

20. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं तथा उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनमें अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

उनको संदेय वेतन, भत्ते और पदावधि ।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

21. (1) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि—

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति और बने रहने के लिए निर्हताएं ।

(क) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्घदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(ग) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ;

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।

(2) अध्यक्ष या सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

22. (1) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अपने पद से त्यागपत्र की सूचना केन्द्रीय सरकार को लिखित में दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से, जिसको केन्द्रीय सरकार उसे उसका पद त्याग करने के लिए अनुज्ञात करती है या ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पद पर सम्यक् रूप से उत्तरवर्ती नियुक्त किए जाने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति पर, इनमें जो भी पहले हो, प्रभावी होगा ।

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और रिक्ति का भरा जाना ।

(2) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने या हटाए जाने या मृत्यु या अन्यथा द्वारा उत्पन्न हुई रिक्ति को, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा ।

(3) अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही, उस तारीख से जिसको वह ऐसा पद धारण नहीं करता है, एक वर्ष की अवधि के लिए, कोई नियोजन स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं और केन्द्रीय सरकार को ऐसे किसी डाटा न्यासी के साथ जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य द्वारा या उसके समक्ष प्रारंभ की गई थीं, नियोजन की कोई पश्चातवर्ती स्वीकृति का भी प्रकटीकरण करेगा ।

बोर्ड की कार्यवाहियां ।

23. (1) बोर्ड, अपनी बैठकों के आयोजन और उनमें कारबार का संव्यवहार करने के संबंध में, जिसके अंतर्गत डिजिटल साधनों द्वारा संव्यवहार भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा तथा अपने आदेशों, निदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होना ;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि होना ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता होना, जिसका मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो ।

(3) जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब वरिष्ठतम सदस्य, अध्यक्ष के कृत्यों का, उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः संभालता है, निर्वहन करेगा ।

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ।

24. बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, नियुक्ति और सेवा के ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो विहित की जाएं, अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

25. बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य किया जाना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक हैं । 1860 का 45

अध्यक्ष की शक्तियां ।

26. अध्यक्ष, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में साधारण अधीक्षण और निदेश देना ;

(ख) बोर्ड को संबोधित किसी सूचना, शिकायत, निर्देश या पत्राचार की संवीक्षा करने के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना ; और

(ग) किसी व्यष्टिक सदस्य या सदस्यों के समूह द्वारा बोर्ड के किन्हीं कृत्यों के पालन को प्राधिकृत करना और उसकी किन्हीं कार्यवाहियों को संचालित करना और उनके बीच कार्यवाहियां आबंटित करना ।

अध्याय 6

बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उसके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

27. (1) बोर्ड, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन वैयक्तिक डाटा भंग की किसी सूचना की प्राप्ति पर, किसी वैयक्तिक डाटा भंग की दशा में, कोई अत्यावश्यक उपचारी या न्यूनीकरण उपायों का निदेश देना, और ऐसे वैयक्तिक डाटा भंग की जांच करना तथा इस अधिनियम में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित करना ;

(ख) किसी वैयक्तिक डाटा भंग के संबंध में किसी डाटा स्वामी द्वारा की गई शिकायत पर या किसी डाटा न्यासी द्वारा उसके वैयक्तिक डाटा के संबंध में अपनी बाध्यताओं के पालन के भंग पर या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसको किए गए किसी निर्देश पर या किसी न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करने पर, ऐसे भंग की जांच करना और इस अधिनियम में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित करना ;

(ग) सहमति प्रबंधक द्वारा अपनी बाध्यताओं के अनुपालन में किसी भंग के संबंध में डाटा स्वामी द्वारा की गई शिकायत पर, उसके वैयक्तिक डाटा के संबंध में ऐसे भंग की जांच करना और इस अधिनियम में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित करना ;

(घ) सहमति प्रबंधक के रजिस्ट्रीकरण की किसी शर्त के भंग की सूचना की प्राप्ति पर ऐसे भंग की जांच करना और इस अधिनियम में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित करना ;

(ङ) किसी मध्यवर्ती द्वारा धारा 37 की उपधारा (2) के उपबंधों के पालन में भंग के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देश पर, ऐसे भंग की जांच करना और इस अधिनियम में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित करना ।

(2) बोर्ड, संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक समझे, जो उसके अनुपालन करने के लिए आबद्धकर होगा ।

(3) बोर्ड, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जारी किसी निदेश से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, या केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निदेश पर, ऐसे निदेश को उपांतरित, निलंबित, वापस या रद्द कर सकेगा और ऐसा करते समय, ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिनके अधीन रहते हुए उपांतरण, निलंबन, वापसी या रद्दकरण प्रभावी होगा ।

बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया ।

28. (1) बोर्ड, स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और, यथासाध्य, डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा जिसमें डिजाइन द्वारा उसके डिजिटल होने के संबंध में शिकायतों की प्राप्ति और आबंटन, विनिश्चयों की सुनवाई तथा उनकी उद्घोषणा भी है और ऐसी प्रौद्योगिकी-विधिक उपायों को अंगीकृत करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) बोर्ड, धारा 27 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट सूचना या शिकायत या निर्देश या निदेशों की प्राप्ति पर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा ।

(3) बोर्ड, यह अवधारित करेगा कि क्या किसी जांच में अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार हैं ।

(4) यदि बोर्ड, यह अवधारित करता है कि अपर्याप्त आधार हैं तो वह उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कार्यवाहियों को बंद कर सकेगा ।

(5) यदि बोर्ड यह अवधारित करता है कि जांच में अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, यह अभिनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति के मामलों की जांच कर सकेगा कि क्या ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन कर रहा है या उसने उनका अनुपालन किया है ।

(6) बोर्ड, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी जांच करेगा और ऐसी जांच के दौरान उसकी कार्रवाइयों के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(7) बोर्ड को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों से संबंधित, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करते हुए शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(ग) किसी डाटा, पुस्तक, दस्तावेज, रजिस्टर, लेखा बही या अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करना ; और

(घ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

(8) बोर्ड या उसके अधिकारी किसी परिसर तक पहुंच से निवारित नहीं करेंगे या किसी ऐसे उपस्कर या किसी ऐसी मद को अभिरक्षा में नहीं लेंगे, जो किसी व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो ।

(9) बोर्ड, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अपनी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करे ।

(10) जांच के दौरान, यदि बोर्ड यह आवश्यक समझता है तो वह उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अंतरिम आदेश जारी कर सकेगा ।

(11) जांच पूरी हो जाने पर और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, बोर्ड, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, धारा 33 के अनुसार या तो कार्यवाहियों को बन्द कर सकेगा या कार्यवाही करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

(12) किसी शिकायत की प्राप्ति के पश्चात्, किसी भी प्रक्रम पर, यदि बोर्ड की यह राय है कि शिकायत झूठी या तुच्छ है, तो बोर्ड, परिवादी को चेतावनी जारी कर सकेगा या उस पर खर्च अधिरोपित कर सकेगा ।

अध्याय 7

अपील और वैकल्पिक विवाद समाधान

अपील अधिकरण को अपील ।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश या निदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, उस आदेश या निदेश की प्राप्ति की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप और रीति में होगी और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए ।

(3) अपील अधिकरण, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करने वाला, उसे उपांतरित करने वाला या अपास्त करने वाला उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(5) अपील अधिकरण, बोर्ड को और अपील के पक्षकारों को, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति भेजेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील पर यथासंभव शीघ्रता के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी तथा उस तारीख से, जब अपील उसे प्रस्तुत की गई है, छह मास की अवधि के भीतर अन्तिम रूप से अपील का निपटान करने का प्रयास किया जाएगा ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन किसी अपील का छह मास की अवधि के भीतर निपटान नहीं किया जा सकता है, वहां अपील अधिकरण उस अवधि के भीतर अपील के निपटान नहीं किए जाने वाले कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

1997 का 24 (8) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14क और धारा 16 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपील अधिकरण, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, इस धारा के अधीन अपील का निपटारा करेगा ।

(9) जहां कोई अपील इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध फाइल की जाती है, वहां भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण
1997 का 24 अधिनियम, 1997 की धारा 18 के उपबंध लागू होंगे ।

(10) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल की गई अपीलों के संबंध में, अपील अधिकरण, यथासाध्य, डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें अपील की प्राप्ति, सुनवाई और डिजाइन द्वारा उसके डिजिटल होने के संबंध में विनिश्चयों की उद्घोषणा भी है ।

अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश को डिक्री के रूप में निष्पादनीय होना ।

30. (1) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश का इसके द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा, और इस प्रयोजन के लिए, अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को पारेषित कर सकेगा और ऐसा सिविल न्यायालय इस प्रकार आदेश निष्पादित करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो ।

वैकल्पिक विवाद समाधान ।

31. यदि बोर्ड की यह राय है कि मध्यकता द्वारा किसी शिकायत का समाधान किया जा सकता है, तो वह ऐसे मध्यस्थ द्वारा ऐसी मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के समाधान का प्रयास करने के लिए संबद्ध पक्षकारों को ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत हों या जैसा भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध किया गया हो ।

स्वैच्छिक वचनबंध ।

32. (1) बोर्ड, धारा 28 के अधीन कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के उपबंधों के पालन से संबंधित किसी मामले के संबंध में कोई स्वैच्छिक वचनबंध स्वीकार कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्वैच्छिक वचनबंध में ऐसे समय के भीतर, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, ऐसी कार्रवाई करने के लिए कोई वचनबंध सम्मिलित हो सकेगा, अथवा ऐसी कार्रवाई करने से, और ऐसे वचनबंध को विज्ञापित करने से दूर रह सकेगा ।

(3) बोर्ड, स्वैच्छिक वचनबंध स्वीकार करने के पश्चात् और ऐसे व्यक्ति की सहमति से, जिसने स्वैच्छिक वचनबंध दिया था, स्वैच्छिक वचनबंध में सम्मिलित निबंधनों में परिवर्तन कर सकेगा ।

(4) बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक वचनबंध की स्वीकृति, उपधारा (5) के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सिवाय, जहां तक स्वैच्छिक वचनबंध की अंतर्वस्तु का संबंध है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियों का वर्जन होगी ।

(5) जहां कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए स्वैच्छिक वचनबंध के किसी निबंधन का पालन करने में विफल रहता है, वहां ऐसा भंग इस अधिनियम के उपबंधों का भंग समझा जाएगा और बोर्ड, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, धारा 33 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

अध्याय 8

शास्तियां और न्यायनिर्णयन

शास्तियां ।

33. (1) यदि बोर्ड किसी जांच की समाप्ति पर, यह अवधारित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का भंग महत्वपूर्ण है, तो वह किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित की जाने वाली धनीय शास्ति की रकम को अवधारित करते समय, बोर्ड निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) भंग की प्रकृति, गंभीरता और अवधि ;

(ख) भंग से प्रभावित वैयक्तिक डाटा का प्रकार और प्रकृति ;

(ग) भंग की आवृतिमूलक प्रकृति ;

(घ) क्या किसी व्यक्ति ने, भंग के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त किया है या किसी हानि से बच गया है ;

(ङ) क्या किसी व्यक्ति ने भंग के प्रभावों और परिणामों को न्यूनीकृत करने के लिए कोई कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाई की सामयिकता तथा प्रभावकारिता क्या है ;

(च) क्या इस अधिनियम के उपबंधों का सुरक्षित रूप से पालन करने और उनके भयोपरत भंग करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अधिरोपित की जाने वाली धनीय शास्ति समानुपाती और प्रभावी है ; और

(छ) व्यक्ति पर धनीय शास्ति के अधिरोपण का संभाव्य प्रभाव ।

शास्तियों के रूप में वसूल की गई राशियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाना ।

34. इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा अधिरोपित शास्तियों के रूप में प्राप्त सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

35. इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात, कोई वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार, बोर्ड, इसके अध्यक्ष और किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

सूचना मांगने की शक्ति ।

36. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड और किसी डाटा न्यासी या मध्यवर्ती से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी सूचना प्रस्तुत करे जिसकी वह मांग करे ।

निदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

37. (1) केन्द्रीय सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारियों में से कोई अधिकारी, बोर्ड से लिखित में निम्नलिखित निर्देश की प्राप्ति पर—

(क) जो किसी डाटा न्यासी पर दो या अधिक वादों में बोर्ड द्वारा धनीय शास्ति के अधिरोपण की सूचना देता है ; और

(ख) जो जनसाधारण के हित में, किसी ऐसे कंप्यूटर स्रोत में सृजित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परपोषित किसी सूचना तक जनता द्वारा पहुंच के लिए अवरुद्ध करने की सलाह देता है, जो ऐसे डाटा न्यासी को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर डाटा स्वामियों को माल या सेवाओं की प्रस्थापना से संबंधित किसी क्रियाकलाप को करने में समर्थ बनाता है,

उस डाटा न्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाने पर कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी अभिकरण या किसी मध्यवर्ती को ऐसी किसी सूचना को जनता द्वारा पहुंच के लिए अवरुद्ध करने या जनता द्वारा पहुंच के लिए अवरुद्ध करवाने का निदेश दे सकेगी ।

(2) प्रत्येक मध्यवर्ती, जो उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया निदेश प्राप्त करता है, उसका अनुपालन करने के लिए आबद्धकर होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कंप्यूटर स्रोत", "सूचना" और "मध्यवर्ती" पदों के

वही अर्थ होंगे, जो क्रमश: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उनके हैं । 2000 का 21

अन्य विधियों से संगतता ।

38. (1) इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।

(2) इस अधिनियम के उपबंध और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के बीच विरोध की दशा में, इस अधिनियम के उपबंध ऐसे विरोध की सीमा तक अभिभावी होंगे ।

अधिकारिता का वर्जन ।

39. किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी विषय के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड को सशक्त किया गया है और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

40. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन डाटा न्यासी द्वारा डाटा स्वामी को दिया गया नोटिस उसे सूचित करेगा ;

(ख) वह रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन डाटा न्यासी द्वारा डाटा स्वामी को दिया गया नोटिस उसे सूचित करेगा ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन, जवाबदेही की रीति और सहमति प्रबंधक की बाध्यताएं ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन सहमति प्रबंधक के रजिस्ट्रीकरण की रीति और उससे संबंधित शर्तें ;

(ङ) आर्थिक सहायता, फायदा, सेवा, प्रमाणपत्र, प्रबंध या निर्गम के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र, जिसका धारा 7 के खंड (ख) के अधीन व्यक्तिगत डाटा प्रक्रमित किया जा सकेगा ;

(च) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड को व्यक्तिगत डाटा भंग की सूचना देने का प्ररूप और रीति ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन जिसका पूरा न किया जाना समझा जाए, के लिए समयावधि ;

(ज) धारा 8 की उपधारा (9) के अधीन डाटा संरक्षा अधिकारी की कारबार संपर्क सूचना प्रकाशित करने की रीति ;

(झ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सत्यापनीय सहमति अभिप्राप्त करने की रीति ;

(ञ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन डाटा न्यासियों के वर्ग, शिशु के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने के प्रयोजन और उससे संबंधित शर्तें ;

(ट) ऐसे अन्य विषय, जिनमें धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन डाटा संरक्षा समाघात निर्धारण की प्रक्रिया भी है ;

(ठ) ऐसे अन्य उपाय, जिन्हें महत्वपूर्ण डाटा न्यासी, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (iii) के अधीन करेगा ;

(ड) वह रीति, जिसमें धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कोई डाटा स्वामी डाटा न्यासी को, सूचना और ऐसे डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा से संबंधित कोई अन्य सूचना प्राप्त करने के लिए तथा इसके प्रक्रमण के लिए अनुरोध करेगा ;

(ढ) वह रीति, जिसमें धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन कोई डाटा स्वामी, डाटा न्यासी को उसके व्यक्तिगत डाटा विलोपन के लिए अनुरोध करेगा ;

(ण) वह अवधि, जिसके भीतर धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन डाटा न्यासी किन्हीं शिकायतों का उत्तर देगा ;

(त) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन डाटा स्वामी द्वारा किसी अन्य व्यष्टिक को नामनिर्देशन करने की रीति ;

(थ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन छूट के लिए वैयक्तिक डाटा प्रक्रमित करने के मानक ;

(द) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की रीति ;

(ध) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन, बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ;

(न) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन आदेशों, निदेशों और लिखतों के अधिप्रमाणन की रीति ;

(प) धारा 24 के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(फ) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले प्रौद्योगिकी-विधिक उपाय ;

(ब) धारा 28 की उपधारा (7) के खंड (घ) के अधीन अन्य विषय ;

(भ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने के लिए प्ररूप, रीति और फीस ;

(म) धारा 29 की उपधारा (8) के अधीन अपील पर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया ;

(य) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं ।

नियमों और कतिपय अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

41. इस अधिनियम की धारा 16 और धारा 42 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने के तुरन्त पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी

और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, नियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि, यथास्थिति, ऐसे नियम को नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो, यथास्थिति, ऐसा नियम या अधिसूचना केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं रहेगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस नियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।

42. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निर्बंधन के अधीन रहते हुए अनुसूची का संशोधन कर सकेगी कि किसी अधिसूचना का प्रभाव इसमें विनिर्दिष्ट शास्ति को, उस शास्ति के दुगुने से अधिक बढ़ाने वाली नहीं होगी, जो इस अधिनियम के मूल रूप से अधिनियमित होने के समय इसमें विनिर्दिष्ट थी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी संशोधन का ऐसा प्रभाव होगा मानो वह इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो और अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कतिपय अधिनियमों के संशोधन ।

44. (1) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के खंड (ग) में, उपखंड (i) और उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— 1997 का 24

"(i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अपील अधिकरण ; 2000 का 21

(ii) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के अधीन अपील अधिकरण ; और 2008 का 27

(iii) डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अधीन अपील अधिकरण ।"। 2023 का 22

(2) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का निम्नलिखित रीति में संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :— 2000 का 21

(क) धारा 43क का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 81 के परंतुक में "पेटेंट अधिनियम, 1970" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023" शब्द और अंक रखे जाएंगे; 1970 का 39 2023 का 22

(ग) धारा 87 की उपधारा (2) में खंड (णख) का लोप किया जाएगा ।

2005 का 22 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ञ) सूचना, जो वैयक्तिक सूचना से संबंधित है ;"।

अनुसूची

[धारा 33(1) देखिए]

क्र.सं.	इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का भंग	शास्ति
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन वैयक्तिक डाटा भंग को रोकने के लिए युक्तियुक्त सुरक्षा रक्षोपाय करने हेतु डाटा न्यासी की बाध्यताओं का पालन करने में भंग ।	दो अरब पचास करोड़ रुपए तक हो सकेगी ।
2.	धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन वैयक्तिक डाटा भंग का नोटिस बोर्ड या प्रभावित डाटा स्वामी को देने की बाध्यता का पालन करने में भंग ।	दो अरब रुपए तक हो सकेगी ।
3.	धारा 9 के अधीन शिशुओं के संबंध में अतिरिक्त बाध्यताओं के पालन करने में भंग ।	दो अरब रुपए तक हो सकेगी ।
4.	धारा 10 के अधीन महत्वपूर्ण डाटा न्यासी की अतिरिक्त बाध्यताओं के पालन करने में भंग ।	एक अरब पचास करोड़ रुपए तक हो सकेगी ।
5.	धारा 15 के अधीन कर्तव्यों के पालन करने में भंग ।	दस हजार रुपए तक हो सकेगी ।
6.	धारा 32 के अधीन बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी स्वैच्छिक वचनबंध के किसी निबंधन का भंग ।	भंग के लिए लागू सीमा तक, जिसके संबंध में धारा 28 के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की गई थीं ।
7.	इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध का भंग ।	पचास करोड़ रुपए तक हो सकेगी ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 24)

[**12 अगस्त, 2023**]

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने हेतु संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में, भाग 23-छत्तीसगढ़ में, प्रविष्टि 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :— सं.आ. 19

"33. महार, माहरा, महरा, मेहर, मेहरा" ।

भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 29)

[15 अगस्त, 2023]

भेषजी अधिनियम, 1948
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम ।

1948 का 8 **2.** भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 32ग का अंत:स्थापन ।

जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अर्हित व्यक्तियों से संबंधित विशेष उपबंध ।

"32ग. धारा 32 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसका नाम जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 के अधीन रखे गए भेषजज्ञों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है या उक्त अधिनियम के अधीन विहित अर्हता (चिकित्सा सहायक/भेषजज्ञ) रखता है, को इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन तैयार किए गए और रखे गए भेषजज्ञ रजिस्टर में इस शर्त के अध्यधीन दर्ज किया गया समझा जाएगा कि भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस निमित्त कोई आवेदन ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की जाए, किया गया है ।"।

2011 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम सं० 53 (1955 ए.डी.)

केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 30)

[18 अगस्त, 2023]

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

धारा 2 का संशोधन । **2.** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 2017 का 12

(क) खंड (80) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या किसी इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है ;

(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी, किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी सम्मिलित है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय करता है या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित है या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं ;';

(ख) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावा" से,—

(i) दांव लगाने ;

(ii) कैसिनो ;

(iii) द्यूतक्रीड़ा ;

(iv) घुड़दौड़ ;

(v) लाटरी ; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलने,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है ;';

(ग) खंड (105) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति का आयोजन या व्यवस्था करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए गए हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में उसको या उसके माध्यम से प्रतिफल संदत्त किया जाता है या पहुंचाया जाता है या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो;";

(घ) खंड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसका है ;'। 1961 का 43

धारा 24 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) खंड (xi) के, अंत में आने वाला "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ; और"।

अनुसूची 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, "लाटरी, दांव और द्यूत" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" शब्द रखे जाएंगे ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

5. इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे ।

एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 31)

[18 अगस्त, 2023]

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (17) के उपखंड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :— 2017 का 13

"(vii) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (80ख) में यथापरिभाषित ऑनलाइन धनीय गेम खेलने को छोड़कर, ऑनलाइन गेम खेलना ;"। 2017 का 12

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक में, "परंतु" शब्द के पश्चात् ", परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित से भिन्न" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) जहां माल की पूर्ति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को की जाती है, पूर्ति का स्थान, खंड (क) या खंड (ग) में अतंर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उक्त पूर्ति के संबंध में जारी बीजक में अभिलिखित उक्त व्यक्ति के पते के अनुसार अवस्थिति और पूर्तिकार की अवस्थिति होगी जहां उक्त व्यक्ति का पता बीजक में अभिलिखित नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, बीजक में उक्त व्यक्ति के राज्य के नाम के अभिलेखन को उक्त व्यक्ति के पते का अभिलेखन समझा जाएगा ;"।

नई धारा 14क का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा पूर्ति किए गए विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के लिए विशेष उपबंध ।

"14क. (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (80ख) में यथापरिभाषित ऑनलाइन धनीय गेम खेलने का पूर्तिकार, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित नहीं है, उसके द्वारा कराधेय राज्यक्षेत्र में व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति के संबंध में ऐसी पूर्ति पर एकीकृत कर का संदाय करने का दायी होगा । 2017 का 12

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के प्रयोजनों के लिए, ऑनलाइन धनीय गेम खेलने वाला पूर्तिकार इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सरलीकृत रजिस्ट्रीकृत स्कीम के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा :

परंतु कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे पूर्तिकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण करेगा और ऐसे पूर्तिकार के निमित्त एकीकृत कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि यदि ऐसे पूर्तिकार की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है या किसी भी प्रयोजन के लिए उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो वह एकीकृत कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे कर का संदाय करने का दायी होगा ।

(3) ऑनलाइन धनीय गेम खेलने का पूर्तिकार या ऐसे पूर्तिकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या दोनों के द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का
2000 का 21 अनुपालन करने में असफलता की दशा में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पूर्तिकार द्वारा ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति में उपयोग किए गए किसी कंप्यूटर संसाधन पर सृजित, पारेषित, प्राप्त या रखी गई किसी जानकारी के लिए पब्लिक द्वारा पहुंच को बंद किए जाने के लिए उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट रीति में दायी होगा ।"।

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 37)

[17 दिसम्बर, 2023]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और किसी अधिनियमिति का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम ।

2. पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है । कतिपय अधिनियमितियों का निरसन ।

3. तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति को उसके चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से संशोधित किया जाता है । अधिनियमिति का संशोधन ।

व्यावृत्ति ।

4. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है ;

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या सहन की गई किसी बात या पहले से अर्जित, iknHkr या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या उससे कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर, नहीं पड़ेगा ;

और न ही, इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी पड़ेगा कि वह, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से क्रमशः पुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुआ है ;

और न ही, इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित होगी ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम
1	2	3
1850	18	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850
1855	28	सूदखोरी विधि निरसन अधिनियम, 1855
1857	5	ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1857
1867	11	ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1867
1871	4	कोरोनर अधिनियम, 1871
1881	16	नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम, 1881
1885	18	भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885
1912	13	दिल्ली विधि अधिनियम, 1912
1915	7	दिल्ली विधि अधिनियम, 1915
1922	22	पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922
1923	6	छावनी (गृह आवास) अधिनियम, 1923
1934	15	गन्ना अधिनियम, 1934
1941	12	दिल्ली भूमि उपयोग निर्बंधन अधिनियम, 1941
1950	74	तारयंत्र संबंधी तार (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950
1965	44	मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एक्वीजीशन ऑफ अंडरटेकिंग) ऐक्ट, 1965
1974	28	कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974
1976	100	मेटल कारपोरेशन (राष्ट्रीकरण तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1976
1982	71	आन्ध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1982
1983	17	दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1983
1994	13	वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1994
2018	1	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017
2018	8	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	21	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	23	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	26	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	27	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018
2019	6	स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019

1	2	3
2019	8	विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	11	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	14	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	24	सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	26	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	36	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019
2019	37	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019
2020	19	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020

दूसरी अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम
1	2	3
2013	5	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2013
2013	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2013
2013	7	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2013
2013	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2013
2013	9	विनियोग अधिनियम, 2013
2013	10	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2013
2013	15	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2013
2013	16	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2013
2013	21	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2013
2014	2	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2013
2014	3	विनियोग (रेल) संख्यांक 4 अधिनियम, 2013
2014	4	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2014
2014	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2014
2014	12	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014
2014	13	विनियोग अधिनियम, 2014
2014	21	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2014
2014	22	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2014
2014	23	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014
2014	24	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2014
2014	38	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2014
2015	6	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2015
2015	7	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2015
2015	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2015
2015	9	विनियोग अधिनियम, 2015
2015	13	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2015
2015	15	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2015
2015	24	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2015
2015	25	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2015
2016	7	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2015

1	2	3
2016	8	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2015
2016	14	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2016
2016	15	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2016
2016	19	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016
2016	20	विनियोग अधिनियम, 2016
2016	26	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2016
2016	29	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2016
2016	46	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2016
2016	50	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2016
2016	51	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2016
2017	8	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2017
2017	9	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2017

तीसरी अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संशोधन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4
2012	12	फैक्टर विनियमन अधिनियम, 2011	धारा 31क की उपधारा (3) में "और केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "और सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

———————

केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 48)

[28 दिसम्बर, 2023]

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम ।

2017 का 12 **2.** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 110 में,— धारा 110 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(I) खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) अपील अधिकरण, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा

कर अपील अधिकरण, राज्य मूल्यवर्धित कर अधिकरण, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों के मुकदमेबाजी में सारवान् अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ;";

(II) निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई व्यक्ति, जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।";

(ख) उपधारा (9) में, "सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" शब्दों के स्थान पर, "सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट आयु सीमा के अधीन रहते हुए दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) में, "पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" शब्दों के स्थान पर, "सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट आयु सीमा के अधीन रहते हुए दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 50)

[28 दिसम्बर, 2023]

सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से संबंधित विधेयकों के उपबंधों को सीमित अवधि के लिए तुरंत प्रभावी करने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 है ।

परिभाषा ।

2. इस अधिनियम में, "घोषित उपबंध" से किसी ऐसे विधेयक का उपबंध अभिप्रेत है, जिसके संबंध में धारा 3 के अधीन कोई घोषणा की गई है ।

केन्द्रीय सरकार की घोषणा करने की शक्ति ।

3. जहां सरकार की ओर से संसद् में पुर:स्थापित किया जाने वाला कोई विधेयक, टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन सहित या उसके बिना सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि के लिए उपबंध करता है वहां केन्द्रीय सरकार, उस विधेयक में यह घोषणा अंत:स्थापित करा सकेगी कि लोक हित में यह समीचीन है कि ऐसे अधिरोपण या वृद्धि से संबंधित विधेयक का कोई उपबंध, इस अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होगा ।

इस अधिनियम के अधीन की घोषणाओं का प्रभाव और उनकी अवधि ।

4. (1) किसी घोषित उपबंध को, उस दिन की समाप्ति पर ही तुरंत विधि का बल प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन इसे अन्तर्विष्ट करने वाला विधेयक पुर:स्थापित कर दिया जाता है ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, किसी घोषित उपबंध का विधि का बल तब समाप्त हो जाएगा,—

(क) जब वह संशोधन सहित या रहित किसी अधिनियमिति के रूप में प्रवृत्त हो जाता है ; या

(ख) जब केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा पारित किसी प्रस्ताव के अनुसरण में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे कि उसका विधि का बल समाप्त हो जाएगा ; या

(ग) यदि खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उसका विधि का बल पहले ही समाप्त नहीं हुआ है, तब उस दिन के पश्चात्, पचहत्तरवें दिन की समाप्ति पर, जिस दिन इसे अन्तर्विष्ट करने वाला विधेयक पुर:स्थापित किया गया था ।

कतिपय मामलों में वापस किया जाना ।

5. (1) जहां कोई घोषित उपबंध, उस दिन के पश्चात्, जिस दिन इसे अन्तर्विष्ट करने वाला विधेयक पुर:स्थापित किया गया था, पचहत्तरवें दिन की समाप्ति के पूर्व संशोधित होकर किसी अधिनियमिति के रूप में प्रवर्तन में आता है, वहां सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, जो यदि अधिनियमिति में अंगीकृत उपबंध, घोषित उपबंध होता, तो संगृहीत नहीं किए जाते :

परन्तु वह दर, जिस पर इस उपधारा के अधीन कोई शुल्क वापस किया जाए, घोषित उपबंध में प्रस्तावित ऐसे शुल्क की दर और विधेयक पुर:स्थापित करने के समय प्रवृत्त ऐसे शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी ।

(2) जहां धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी घोषित उपबंध का विधि का बल समाप्त हो गया है वहां सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, जो यदि उस उपबंध के बारे में घोषणा न की गई होती तो, संगृहीत नहीं किए जाते ।

निरसन ।

6. अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 का निरसन किया जाता है । 1931 का 16

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 1)

[12 फरवरी, 2024]

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं । **2.** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत लोक परीक्षा में उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ख) "संचार डिवाइस" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (जक) में उसका है; 2000 का 21

(ग) "सक्षम प्राधिकरण" से केन्द्रीय सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है, जो लोक परीक्षा प्राधिकरण के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है;

(घ) "कंप्यूटर नेटवर्क", "कंप्यूटर संसाधन", "कंप्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) 2000 का 21
के खंड (त्र), खंड (ट) और खंड (ठ) में क्रमशः उनका है;

(ङ) "लोक परीक्षा का संचालन" के अंतर्गत लोक परीक्षा का संचालन कराने हेतु अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं और क्रियाकलाप, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे ;

(च) "संस्था" से लोक परीक्षा प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता से भिन्न कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संगम, कारबार इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कंपनी" के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में 2013 का 18
यथा परिभाषित कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 2009 का 7
की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म भी सम्मिलित है ;

(छ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(ज) "संगठित अपराध" से लोक परीक्षा के संबंध में सदोष अभिलाभ के लिए साझे हित को आगे बढ़ाने या उसका संवर्धन करने के लिए दुस्संधि और षMयंत्रपूर्वक अनुचित साधनों से लिप्त रहने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कारित कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

(झ) "सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करे चाहे ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या अभिकर्ता या सहायक हो ;

(त्र) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) "लोक परीक्षा" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित कोई परीक्षा अभिप्रेत है ;

(ठ) "लोक परीक्षा प्राधिकरण" से लोक परीक्षाओं को संचालित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ड) "लोक परीक्षा केन्द्र" से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जिनका लोक परीक्षा संचालित कराने के लिए उपयोग किए जाने हेतु सेवा प्रदाता द्वारा या अन्यथा, लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयन किया जाता है और जिसके अंतर्गत अन्य के साथ, कोई विद्यालय, कंप्यूटर केन्द्र, संस्था, कोई भवन या उसका कोई भाग भी सम्मिलित हो सकेगा और इसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण परिधि तथा उससे संलग्न भूमि भी सम्मिलित होगी जिनका प्रयोग लोक परीक्षाओं के संचालन हेतु सुरक्षा और अन्य संबंधित कारणों हेतु किया जा सकेगा; और

(ढ) "सेवा प्रदाता" से कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संगम, कारबार इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी सामग्री, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की सहायता प्रदान करने हेतु इसके सहयुक्त, उप-ठेकेदार और प्रदाता भी सम्मिलित हैं, जो लोक परीक्षा के संचालन हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किए गए हैं ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन विधियों में हैं।

अध्याय 2

अनुचित साधन और अपराध

अनुचित साधन ।

3. किसी लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया या कराए जाने वाला कोई कृत्य या लोप भी सम्मिलित होगा और जिसमें धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य सम्मिलित होगा, परंतु केवल इन्हीं तक निर्बंधित नहीं होगा—

(i) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट करना;

(ii) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ दुस्संधि करके भागीदारी करना;

(iii) प्राधिकार के बिना प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओ.एम.आर.) रिस्पांस शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना;

(iv) लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों के हल का प्रबंध करना;

(v) लोक परीक्षा में किसी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;

(vi) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जिसमें आप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओ.एम.आर.) रिस्पांस शीटें भी हैं;

(vii) किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय, बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना;

(viii) लोक परीक्षा को स्वयं या अपने अभिकरण के माध्यम से संचालित कराने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर अतिक्रमण करना;

(ix) किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थियों का लघु सूचीयन करने या किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम रूप दिए जाने के लिए किसी आवश्यक दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना;

(x) किसी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुकर बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना;

(xi) कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी कम्प्यूटर संसाधन या कम्प्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना;

(xii) परीक्षा में अनुचित साधनों के अंगीकरण करने को सुकर बनाने के लिए अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था करना, तारीखों और पालियों के आबंटन में हेर-फेर करना;

(xiii) लोक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार के किसी प्राधिकृत अभिकरण से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को खतरे में डालना या सदोष परिरोध करना; या लोक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना;

(xiv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाइट बनाना; और

(xv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली परीक्षा संचालित करना, जाली प्रवेश पत्र या प्रस्ताव पत्र जारी करना ।

अनुचित साधनों के लिए षड्यंत्र ।

4. कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं, ऐसे किन्हीं भी अनुचित साधनों में संलिप्तता को बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत या षड्यंत्र नहीं करेंगी ।

लोक परीक्षा संचालन को भंग करना ।

5. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य या लोक परीक्षा को संचालित करवाने का कोई कार्य सौंपा नहीं गया है या उसमें नहीं लगाया गया है या जो अभ्यर्थी नहीं है, वह लोक परीक्षा के संचालन को भंग करने के आशय से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा ।

(2) लोक परीक्षा संचालित करवाने के अपने कर्त्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत, लगा हुआ या न्यस्त कोई व्यक्ति, प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व—

(क) धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए अनधिकृत रीति में प्रश्नपत्रों को नहीं खोलेगा, प्रकट नहीं करेगा या अपने पास नहीं रखेगा या पहुंच नहीं बनाएगा या हल नहीं करेगा या ऐसे प्रश्नपत्र या इसके किसी भाग या इसकी प्रति को हल करने में किसी की सहायता नहीं लेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय सूचना नहीं देगा या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन नहीं देगा, जहां ऐसी गोपनीय सूचना धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित या उसके संदर्भ में हो ।

(3) कोई व्यक्ति, जो लोक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त हो या लगाया गया हो, सिवाय जहां उसे अपने कर्त्तव्यों के आधार पर ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, ऐसी किसी भी सूचना या उसके किसी भाग को, जो उसे इस प्रकार सौंपे जा रहे कार्य के नाते उसकी जानकारी में आई है, अनुचित लाभ या सदोष अभिलाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष न तो प्रकट करेगा, न ही प्रकट करवाएगा और न ही इसका पता लगने देगा ।

अन्य अपराध ।

6. धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अपराध करता है,

तो सेवा प्रदाता तत्काल संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को अपराध की सूचना देगा तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण को भी सूचित करेगा :

परंतु यदि सेवा प्रदाता अनुचित साधनों का सहारा लेता है और अपराध करता है या अपराध सुकर बनाने में संलिप्त होता है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को भी उसकी रिपोर्ट करेगा ।

लोक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किन्हीं अन्य परिसरों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

7. लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना लोक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक रूप से लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षा केंद्र से भिन्न, किसी अन्य परिसर का प्रयोग कारित करना, सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपराध होगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात अपराध नहीं होगी, जहां किसी अनिवार्य बाध्यता के कारण लोक परीक्षा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन किया जाता है ।

सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध ।

8. (1) किसी व्यक्ति के सबंध में, जिसके अंतर्गत किसी सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति भी है, यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है यदि वह व्यष्टिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ या संस्थाओं के साथ दुस्संधि से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं की किसी लोक परीक्षा के संचालन में किसी अप्राधिकृत रीति में सहायता करता है ।

(2) सेवा प्रदाता या उसके साथ सहबद्ध किसी व्यक्ति के विषय में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध कारित करने की घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहता है।

(3) जब कोई अपराध किसी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है और अन्वेषण के दौरान प्रथमदृष्टया यह साबित कर दिया जाता है कि वह किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या ऐसे सेवा प्रदाता के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी उसके fo#) कार्यवाही किए जाने का दायी होगा :

परंतु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

अध्याय 3

अपराधों के लिए दंड

संज्ञेय अपराध ।

9. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे ।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड ।

10. (1) इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों और अपराधों में संलिप्त कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि,
2023 का 45 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

2023 का 45 परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती है,
1860 का 45 भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे ।

(2) सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने के अधिरोपण से भी दंडनीय होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व को सौंपे जाने से चार वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा ।

(3) जहां अन्वेषण के दौरान यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सेवा प्रदाता के किसी निदेशक, ज्येष्ठ प्रबंधन या उसके भारसाधक व्यक्तियों की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, तब वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने के संदाय में, व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी : 2023 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, 2023 का 45
भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे । 1860 का 45

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी दंड का दायी नहीं ठहराएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और उसने ऐसे अपराध को कारित होने से निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

संगठित अपराध ।

11. (1) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिसके अंतर्गत परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था भी है, कोई संगठित अपराध कारित करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी : 2023 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, 2023 का 45
भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे । 1860 का 45

(2) यदि कोई संस्था किसी संगठित अपराध को कारित करने में अंतर्वलित पाई जाती है तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्ती के अधीन होगी तथा उससे परीक्षा की समानुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी ।

अध्याय 4

जांच और अन्वेषण

अन्वेषण के लिए सशक्त अधिकारी ।

12. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उप-अधीक्षक या पुलिस सहायक आयुक्त से अन्यून पंक्ति का अधिकारी करेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को अन्वेषण को किसी केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्तियां होंगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

लोक परीक्षा प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।

13. लोक परीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हैं, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा : 2023 का 45

2023 का 45 परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती,
1860 का 45 भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे ।

किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कार्य से संरक्षण ।

14. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होगी :

परंतु किसी लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवा में लोक सेवक ऐसे लोक परीक्षा प्राधिकरण के सेवा नियमों के निबंधनों में प्रशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे :

परंतु यह और कि कोई भी बात ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निवारण नहीं करेगी, जहां प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने का मामला विद्यमान है ।

इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना ।

15. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में :

परंतु इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखत जिसका विधि का बल होने के नाते प्रभाव है, में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभाव होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

16. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अंगीकृत किए जाने के लिए प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं, क्रियाकलाप अधिकथित करना ;

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए ।

नियमों का रखा जाना ।

17. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा तीन वर्ष के भीतर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अध्याय 6

आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 का संशोधन

1944 के अध्यादेश संख्यांक 38 का संशोधन ।

19. आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"6. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अधीन दंडनीय कोई अपराध ।"।

अनुसूची

[धारा 2(ट) देखिए]

निम्नलिखित द्वारा संचालित कोई परीक्षा,—

1. संघ लोक सेवा आयोग ।
2. कर्मचारी चयन आयोग ।
3. रेलवे भर्ती बोर्ड ।
4. बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान ।
5. कर्मचारिवृन्द की भर्ती करने के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
6. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ।
7. ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 5)

[15 फरवरी, 2024]

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को संसद् द्वारा पारित किया गया था ;

1974 का 6

और जीवननिर्वाह तथा कारबार करने में सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन में और वृद्धि करने के लिए छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और उनका सुव्यवस्थीकरण करने के लिए उसमें कतिपय संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ;

और संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के साथ पठित उसके खंड (1) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों की विधान सभाओं द्वारा इस प्रभाव के संकल्प पारित किए गए हैं कि उक्त अधिनियम को इसमें इसके पश्चात् दिए गए प्रयोजनों के लिए संसद् के अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए ;

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह सर्वप्रथम संपूर्ण हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होता है ; और यह ऐसे अन्य राज्यों को भी लागू होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के साथ पठित उसके खंड (1) के अधीन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करते हैं ।

(3) यह हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, तथा ऐसे किसी अन्य राज्य में जो इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के साथ पठित उसके खंड (1) के अधीन अंगीकार करता है, ऐसे अंगीकरण की तारीख को तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में "राज्य सरकार द्वारा" शब्दों के पश्चात् "ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । 1974 का 6

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (9) में "ऐसी होंगी" शब्दों के पश्चात् "जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बोर्ड के साथ परामर्श करके राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक संयंत्रों के कतिपय प्रवर्गों को इस उपधारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी ।"।

नई धारा 27क का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति ।

"27क. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में, किसी उद्योग की स्थापना, उसके प्रचालन या प्रक्रिया या उपचार और निपटान प्रणाली के लिए किसी राज्य बोर्ड की सहमति प्रदान करने, उससे इंकार करने या उसे रद्द करने या किसी नए या परिवर्तित आउटलेट, जिसमें धारा 25 के अधीन किए गए आवेदन का समयबद्ध निपटान संबंधी तंत्र भी है या ऐसी सहमति की विधिमान्यता की अवधि से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकेगी ।

(2) प्रत्येक राज्य बोर्ड, धारा 25 या धारा 27 के अधीन सहमति प्रदान करने, उससे इंकार करने या रद्द करने के प्रयोजनों के लिए अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपधारा (1) के अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 41 के स्थान पर नई धारा 41 और धारा 41क का रखा जाना ।

"41. (1) जो कोई धारा 20 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दिए गए निदेशों का ऐसे समय के भीतर, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उल्लंघन करता है या अनुपालन नहीं करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अननुपालन के संबंध में शास्ति का, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा । धारा 20 के उपबंधों का अनुपालन करने या उसके अधीन जारी अनुदेशों का अनुपालन करने में असफलता ।

(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन या अननुपालन जारी रखता है वहां वह दस हजार रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ।

41क. (1) जो कोई, धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन जारी किसी आदेश या निदेश या धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी निदेश या धारा 33क के अधीन जारी किसी निदेश का उल्लंघन करता है या अनुपालन नहीं करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या अननुपालन के लिए, ऐसी शास्ति का, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा । धारा 32 के उपबंधों या धारा 33 या धारा 33क के अधीन जारी अनुदेशों का अनुपालन करने में असफलता ।

(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन या अननुपालन जारी रखता है वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 42 में,— धारा 42 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :—

"ऐसी शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी ।";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन या अननुपालन जारी रखता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 43 और धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 43 और धारा 44 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

"43. जो कोई, धारा 24 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा । धारा 24 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

धारा 25 या धारा 26 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

44. जहां धारा 25 या धारा 26 के उपबंधों के अनुसरण में, सहमति देने के प्रयोजन के लिए, किसी मीटर या प्रमापी या अन्य मापने या मानीटर करने की डिवाइस का उपयोग अपेक्षित है और ऐसी डिवाइस का उपयोग, उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वहां कोई व्यक्ति, जो यह जानते हुए या जानबूझकर ऐसी डिवाइस को परिवर्तित करता है या उसके साथ छेड़-छाड़ करता है ताकि वह उसको सही ढंग से मानीटर करने या मापने से निवारित कर सके, तो वह ऐसी शास्ति का, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा ।"।

धारा 45 का लोप ।

9. मूल अधिनियम की धारा 45 का लोप किया जाएगा ।

धारा 45क के स्थान पर नई धारा 45क से धारा 45ङ तक का प्रतिस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 45क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :—

अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

'45क. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का या तद्धीन जारी किए गए ऐसे किसी आदेश या निदेशों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह ऐसी शास्ति का जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी संदाय करने का दायी होगा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

न्यायनिर्णायक अधिकारी ।

45ख. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी को, ऐसी रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए, जो विहित की जाए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्ति करेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने अपेक्षित हों ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी ऐसे व्यक्ति को समन कर सकेगा और उसे उपस्थित करा सकेगा या जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सके और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी शास्ति अवधारित कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन वह ठीक समझे :

परंतु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(3) धारा 41. धारा 41क, धारा 42, धारा 43, धारा 44, धारा 45क और धारा 48 के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन 2010 का 19
अनुतोष या प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व के अतिरिक्त होगी ।

45ग. (1) धारा 45ख के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा । अपील । 2010 का 19

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

(3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट करते हुए, उपांतरित करते हुए या अपास्त करते हुए, ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है, वहां ऐसी अपील को अधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम का दस प्रतिशत अधिकरण के पास जमा नहीं कर देता है ।

शास्ति की रकम का पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा किया जाना ।

45घ. जहां न्यायनिर्णायक अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, शास्ति या अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करता है, वहां ऐसी शास्ति की रकम को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा किया जाएगा । 1986 का 29

धारा 25 या धारा 26 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता और शास्ति संदाय करने में असफलता के अपराध ।

45ङ. (1) जो कोई, धारा 25 या धारा 26 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी प्रत्येक असफलता के संबंध में वह कारावास से, जिसकी अवधि डेढ़ वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और असफलता के जारी रहने की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी पहली असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्, ऐसी असफलता जारी रहती है, पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि से परे जारी रहती है, तो वह अपराधी कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का, ऐसे अधिरोपण के नब्बे दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति की रकम का दुगना हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय, उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझी जाएगी और तद्नुसार, अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे :

परंतु इस उपधारा में की कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में उपबंधित किसी दंड का दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(5) उपधारा (4) में की किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम भी है ;

(ख) निदेशक के अंतर्गत, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक, फर्म का भागीदार, सोसाइटी के सदस्य या न्यास या व्यक्तियों के किसी संगम के सदस्य आते हैं ।'।

धारा 47 का लोप ।

11. मूल अधिनियम की धारा 47 का लोप किया जाएगा ।

धारा 48 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति ।

"48. (1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष अपने एक मास के मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा :

परंतु ऐसा विभागाध्यक्ष ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या उसके अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी उल्लंघन का किया जाना विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी अपने एक मास के मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा :

परंतु ऐसा अधिकारी ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।"।

धारा 49 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) न्यायनिर्णायक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ; या" ।

14. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) में,— धारा 63 का संशोधन ।

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन राज्य बोर्ड के अध्यक्ष के नामनिर्देशन की रीति और धारा 5 की उपधारा (9) के अधीन राज्य बोर्ड के अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें ;";

(ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) धारा 45ख के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ;"।

15. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के खंड (ङ) में, "धारा 5 की उपधारा (9) के अधीन राज्य बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य-सचिव" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "राज्य बोर्ड का सदस्य-सचिव" शब्द रखे जाएंगे । धारा 64 का संशोधन ।

Mk jktho ef.k]

lfpo] Hkkjr ljdkjA

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—269GI(S3)—29-10-2024

Kshitiz Mohan Digitally signed by Kshitiz Mohan Date: 2024.11.06 19:26:30 +05'30'